न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 138 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/148)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 11.10.2021

1. श्री ऊंकार लाल पिता स्व. हीरालाल जाट, निवासी चिकसी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती दाखी पुत्री स्व. हीरालाल जाट, निवासी चिकसी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

श्री रूपचंद पिता देवा जाट मृत के बजायः–

1. श्री लोभचंद पिता रूपचंद जाट, निवासी मंगरोल, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री चतरभुज पिता रूपचंद जाट, निवासी मंगरोल, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती कन्याबाई पिता रूपचंद पत्नि अम्बालाल जाट, निवासी जमलावदा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री जे. पी. आमेटा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चित्तौड़गड़ के
प्रकरण संख्या 19 / 2012 निर्णय दिनांक 19.06.2015

निर्णय

दिनांक 11.10.2021

अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 19/2012 निर्णय दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 27.07.2015 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रार्थना पत्र धारा 81 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत स्थगन आदेश के साथ पेश की गई है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/अपीलांट श्री रूपचंद पिता देवा द्वारा अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 218 दिनांक 19.10.1970 आदेश द्वारा तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चिकसी, पटवार मण्डल, चिकसी में स्थित कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 490, 499, 714, 776, 777, 786, 787, 861, 862, 1225/487, 1233/1068, 1338/477, 1344/488 एवं 1346/589 कुल खसरा 14 व क्षेत्रफल 6.96 हैक्टेयर स्थित है। रेस्पोडेंट/अपीलांट के पिता की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 19.10.1970 को जो नामांतरकरण पारित किया गया उसमें रेस्पोडेंट/अपीलांट का नाम नहीं जोडा गया तथा अपीलांट/रेस्पोडेंट ऊंकार व दाखी के नाम ही दर्ज कर दिया गया। अतः रेस्पोडेंट/अपीलांट का नाम जोडा जावें। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 19/2012 दर्ज कर निर्णय दिनांक 19.06.2015 से रेस्पोडेंट/अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत

धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः–*"तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के नामांतरकरण संख्या 218 पर आदेश दिनांक 19.10.1970 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियों की समस्त जांच के पश्चात उक्त नामांतरकरण संख्या 218 पर आदेश पारित करें।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जे. पी. आमेटा उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रूपचंद ने सन् 1970 में खोले गये नामांतरकरण जिसकी जानकारी रूपचंद एवं उसके परिवारजनों को होते हुए अंदर अवधि उक्त नामांतरकरण को चुनौती नहीं दी गई है और नामांतरकरण के 45 वर्षो के पश्चात प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसको तय किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार की है। ऊंकार लाल द्वारा वास्तविक स्थिति प्रकट करने के लिए एवं पत्रावली पर महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने के अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को तय किये बिना और उक्त दस्तावेजों को बिना ध्यान अपील स्वीकार की है। नामांतरकरण संख्या 218 दिनांक 19.10.1970 जिनके नाम तस्दीक किया गया उनकी मृत्यु के काफी

अर्से बाद मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें मयाद का महत्पूर्ण बिन्दु पर ही अपील सुने जाने योग्य नहीं होते हुए अपील स्वीकार की है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली सुनवाई हेतु मुख्यालय, चित्तौड़गढ़ पर प्रत्येक पेशी पर सुनी जा रही थी, परंतु पत्रावली न्याय अपके द्वार शिविर चिकसी में अचानक नियत कर दी गई जिसकी सुनवाई चिकसी में रखे जाने का कोई नोटिस पक्षकार को दिये बिना आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में यह मानने में त्रुटि की है कि नामांतरकरण संख्या 218 दिनांक 19.10.1970 ऊंकार व दाखी के नाम खोला गया है। वास्तविक रूप में उक्त नामांतरकरण अपीलांट के पिता और उनके सगे भ्राता श्री प्रेमचंद जी नाम खोला गया था और इन दोनो की मृत्यु हो जाने से बाद में अपीलांट के नाम पर नामांतरणकरण हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय के सामान्य सिद्धांत कि प्रकरण के सभी पक्षकार को सूचना एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात ही आदेश पारित करना होता है, जिसके विपरीत होने की वजह से त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि मौजा चिकसी, पटवार मण्डल चिकसी में स्थित कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 490, 499, 714, 776, 777, 786, 787, 861, 862, 1225/487, 1233/1068, 1338/477, 1344/488 एवं 1346/589 कुल खसरा 14 व क्षेत्रफल 6.96 हैक्टेयर स्थित है। रेस्पोडेंट्स के पिता की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 19.10.1970 को जो नामांतरकरण पारित किया गया उसमें रेस्पोडेंट्स का नाम नहीं जोडा गया तथा अपीलांट्स ऊंकार व दाखी के नाम ही दर्ज कर दिया गया। अतः रेस्पोडेंट्स का नाम जोडा जाना न्यायोचित होने

से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिका दिनांक 05.05.2014 के अनुसार आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के आवेदन पर जबाब के लिए पत्रावली लम्बित थी। इसके बाद की पेशियों पर पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नहीं बैठे एवं दिनांक 04.05.2015 की पेशी को दिनांक 07.07.2015 की पेशी तय की गयी। दिनांक 07.07.2015 की पेशी के स्थान पर दिनांक 10.06.2015 को नियत कर दी गयी एवं दिनांक 10.06.2015 की तारीख पेशी के नोटिस पक्षकारान को नहीं दिये गये। आदेशिका में वर्णित है कि वकील प्रार्थी उपस्थित। आदेशिका पर हालांकि उंकारलाल के भी हस्ताक्षर है परन्तु उंकारलाल अपीलाण्ट विपक्षी की सहमति इत्यादि का कोई वर्णन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दाखी को कोई नोटिस लोक अदालत का जारी नहीं किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2015 को अपनी आदेशिका में यह वर्णित किया है कि अपील स्वीकार की जाती है तथा दिनांक 19.06.2015 को विस्तृत आदेश अंकित किया है जिसमें वकील प्रार्थी उपस्थित, एक तरफा बहस सुनी गयी, का अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में दिनांक 10.06.2015 न्याय आपके द्वार शिविर में पत्रावली का पेश होना अंकित करते हैं वहीं 19.06.2015 को विस्तृत निर्णय लिखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तिथि से पृथक तिथि को लोक अदालत में पक्षकारान को सूचित किये बिना व सुने बिना उनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जो प्रथमतया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया है तथा अपने निर्णय में भी विवादित नामान्तकरण उंकारलाल व दाखी के नाम दर्ज किया

जाना अंकित किया है जबकि नामान्तकरण उंकारलाल व दाखी के नाम दर्ज नहीं हुआ था। नामान्तकरण हरलाल व प्रेमचंद के नाम दर्ज हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध, मयाद के निर्णय किये बिना, अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित आवेदन पर निर्णय किये बिना, पक्षकारों की सहमति के बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है एवं निर्णय में भी समुचित तथ्यों का वर्णन नहीं किया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर, मियाद व लम्बित आवेदनों का निस्तारण कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.12.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर